


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराग अधी।  
अप्राधीकार की वकील/तलवाना पेश वकील  
करना जाहर है। प्राधीकार पेश करने वकील  
तलवाना भाषाएत में समुचित अवसर दिष्ट  
जा चुके हैं। इसके उपरान्त भी वकील  
तलवाना पेश नहीं करेगा। भाषाएत कादेश  
की अवहेलना है। अतः प्राधीकार का जब  
पत्र आदेश 5 नियम 5 CPC के अधीन  
के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली  
केवल शुभा होकर नष्ट हो गया है।  
तथा बाद वकील वकील शक्ति  
दयता है।

  
जज कार्यालय अधिकारी  
मुम्बई (राज.)